भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2338
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 01 अगस्त, 2022
10 श्रावण, 1944 (शक)

डॉ. अम्बेडकर से संबंधित विरासत का संरक्षण

2338. श्री मनोज तिवारी:
श्री रवि किशन :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिधुत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने डॉ. अम्बेडकर से संबंधित दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय संविधान के जनक डॉ. अम्बेडकर से संबंधित कई स्मारक/स्मृतियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे स्मारकों की जर्जर स्थिति के संबंध में संज्ञान लिया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) डॉ.अम्बेडकर की विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने 1. संकल्प भूमि, वडोदरा (गुजरात), 2. प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, सतारा (महाराष्ट्र) का संरक्षण किए जाने का सुझाव दिया है।

(ग) से (ड.): ऐसे स्मारक/भवन विभिन्न संगठनों के नियंत्रणाधीन हैं। इसके अलावा, सरकार भी विभिन्न स्मारकों/भवनों की समुचित देखभाल तथा अनुरक्षण हेतु सहायता करती है।